दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 3 अप्रैल, 2024
निर्णय उदघोषित: 3 मई, 2024

<u>वै.अ. (कु.न्या.) 199/2017 & सि.वि. 27854/2023, सि.वि. 7981/2024</u>

धर्मेन्द्र सिंह बिष्ट ..... अपीलकर्ता

द्वारा: सुश्री श्रिया मैनी, न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता के साथ श्री राजीव मैनी और श्री नीशू चांदपुरिया, व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता के साथ अधिवक्तागण।

बनाम

बबीता बिष्ट ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>न्या. अमित बंसल,</u>

1. वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता (याचिकाकर्ता/पति) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, केंद्रीय जिला, तीस हजारी, दिल्ली (इसके पश्चात

कुटुंब न्यायालय) द्वारा पारित 22 अगस्त, 2017 के निर्णय पर आपत्ति जताता है।

2. आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके पश्चात अधिनियम) की धारा 13(1)(झक) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया।

3. कुटुंब न्यायालय के समक्ष तलाक याचिका दायर करने से पहले के प्रारंभिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी/पत्नी) का विवाह 7 मई, 2006 को हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार हुआ। दोनों पक्षकारों के बीच विवाह की व्यवस्था दिल्ली के किदवई नगर में स्थित उत्तराखंड विवाह ब्यूरो के माध्यम से की गई थी।

(ii) विवाह के समय, अपीलकर्ता हैदराबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) में उप निरीक्षक (अग्निशमन) के रूप में कार्य कर रहा था। दूसरी ओर, प्रतिवादी एच.डी.एफ.सी. बैंक की सहयोगी कंपनी एच.बी.एल. ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में कार्य कर रही थी।

(iii) विवाह के बाद, दोनों पक्ष कुछ समय के लिए वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अपने वैवाहिक घर में और कुछ समय के लिए हैदराबाद में भी रहे।

(iv) विवाह मुश्किल से कुछ महीनों तक चला और अपरिवर्तनीय मतभेदों के कारण दोनों पक्षकारों ने अक्टूबर, 2006 से अलग रहना शुरू कर दिया। इस विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई।

(v) इसके बाद, अपीलकर्ता ने 30 अक्टूबर, 2007 को तलाक की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 13(1)(झक) के तहत एक याचिका दायर की।

4. कुटुंब न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रकथनों से "क्रूरता" के आधार पर तलाक की मांग कीः-

(i) विवाह के बाद, अपीलकर्ता को पता चला कि प्रत्यर्थी एक असहयोगी और शत्रुतापूर्ण व्यक्ति थी जिसने अपीलकर्ता के प्रति उदासीन रवैया प्रदर्शित किया।

(ii) प्रत्यर्थी को उनके समुदाय को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार 16 मई, 2006 से 15 जून, 2006 तक "जेठ" के महीने के दौरान उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया

गया था, जिसके बाद वह अपने वैवाहिक घर लौट आई। इस बीच, अपीलकर्ता हैदराबाद में अपनी नौकरी फिर से शुरू करने के लिए चला गया था। अपने वैवाहिक घर में, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया।

(iii) प्रत्यर्थी 8 जुलाई, 2006 को हैदराबाद में अचानक अपीलकर्ता के साथ शामिल हो गई, जहाँ दोनों पक्षकारों में झगड़ा जारी रहा। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के खिलाफ डी.आई.जी., सी.आई.एस.एफ. में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जांच की गई।

(iv) पक्षकारों के बीच बार-बार होने वाले विवादों के कारण, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को अक्टूबर, 2006 में दिवाली के समय वापस दिल्ली ले आया। लौटने पर, प्रत्यर्थी ने अपने वैवाहिक घर में लौटने से इनकार कर दिया और अपने पैतृक घर में रहने लगी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी और उसके परिवार ने अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे अपमानित किया और गाली दी।

(v) अक्टूबर 2006 में दिल्ली में दिवाली की छुट्टी के बाद, प्रत्यर्थी ने हैदराबाद वापस जाने से इनकार कर दिया, जहाँ अपीलकर्ता उस समय तैनात था।

(vi) इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के खिलाफ महिला के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ (सी.ए.ब्ल्यू. प्रकोष्ठ) में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर, अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 406/498क/34 के तहत प्राथमिकी सं. 162/07 पुलिस स्टेशन जनकपुरी, दिल्ली में दर्ज की गई। प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 125 के तहत रखरखाव की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की।

5. कुटुंब न्यायालय के समक्ष अपने लिखित बयान में, प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित प्रकथन करके तलाक याचिका को खारिज करने की मांग की:-

(i) विवाह के तुरंत बाद, अपीलकर्ता के परिवार ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और बार-बार दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसका स्त्रीधन भी उससे छीन लिया गया था।

(ii) नवविवाहित पत्नी के लिए जेठ के महीने में अपने माता-पिता के साथ रहने की कोई पारिवारिक परंपरा या रिवाज नहीं था। विवाह के बाद प्रत्यर्थी अपने पैतृक घर पर केवल इसलिए रही क्योंकि अपीलकर्ता ने उसे हैदराबाद ले जाने से इनकार कर दिया था।

(iii) अपमान और पीड़ा के बावजूद, प्रत्यर्थी के पिता ने उसे अपीलकर्ता के पास पुनर्वास के लिए 1 लाख रुपये नकद के साथ हैदराबाद भेजा। हालाँकि, वहाँ भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अपीलकर्ता द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

(iv) अक्टूबर, 2006 के महीने के दौरान हैदराबाद से दिल्ली लौटने पर, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को उसके वैवाहिक घर वापस पर ले जाने से इनकार कर दिया। बल्कि, उसे जबरन उसके पैतृक घर वापस छोड़ दिया गया।

6. अपीलकर्ता ने अपना मामला साबित करने के लिए स्वयं की अभि.सा.-1 के रूप में गवाही दी। जितेंद्र बिष्ट, उनके बड़े भाई (अभि.सा.-2), जसदेवी बिष्ट, उनकी माँ (अभि.सा.-3), महिपाल बिष्ट, उनके दूसरे भाई (अभि.सा.-4) और पी.के. यादव, उनके सहकर्मी (अभि.सा.-5) ने उनका समर्थन किया। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने स्वयं प्र.सा.-1 के रूप में गवाही दी। उसके द्वारा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

7. कुटुंब न्यायालय ने 15 जुलाई, 2008 को निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-

> ***"(i) क्या विवाह के बाद प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है? वादी पर साबित करने का भार***

(ii) राहत।"

कुटुंब न्यायालय के निष्कर्ष

8. कुटुंब न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दायर तलाक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया किः-

(i) अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को दिल्ली में अपने परिवार के सदस्यों के साथ छोड़ दिया, जबकि वह स्वयं आधिकारिक पोस्टिंग पर हैदराबाद चला गया। उन्होंने प्रत्यर्थी को हैदराबाद लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(ii) अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज को लेकर प्रत्यर्थी को परेशान किया।

(iii) अपीलकर्ता के किसी भी साक्ष्य ने इस बारे में विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए कि कैसे अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्यर्थी की ओर से दुर्व्यवहार और क्रूरता की गई।

(iv) अपीलकर्ता की ओर से दिया गया साक्ष्य उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित था क्योंकि वह स्वयं हैदराबाद में था। अपीलकर्ता को दिल्ली में हुई कथित घटनाओं के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

(v) 8 जुलाई, 2006 से 14 अक्टूबर, 2006 तक हैदराबाद में एक साथ रहने के दौरान प्रत्यर्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य को संतोषजनक नहीं माना गया।

(vi) जब दंपति दिवाली के लिए अक्टूबर के मध्य में दिल्ली वापस आए थे, तो अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को दिल्ली में अपने पैतृक घर पर छोड़ गया और खुद हैदराबाद वापस चला गया।

9. संक्षेप में, कुटुंब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकार केवल तीन महीने के समय तक एक साथ रहे और अपीलकर्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ था कि प्रत्यर्थी की ओर से उपरोक्त अवधि में उसे क्रूरता का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि प्राथमिकी सं. 162/07 के तहत विचारण विचाराधीन था, इसलिए उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा दायर तलाक याचिका खारिज कर दी गई।

दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत अनुरक्षण याचिका।

10. कुटुंब न्यायालय ने प्रत्यर्थी की दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत याचिका में 21 फरवरी, 2008 के आदेश के माध्यम से वैधानिक कटौती करने के बाद अपीलकर्ता की सकल आय का 30% अंतरिम पोषणीयता प्रदान की। हालांकि, 29 अप्रैल, 2015 के अंतिम निर्णय के माध्यम से, कुटुंब न्यायालय ने पोषणीयता की मात्रा को सकल वेतन के 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत

कर दिया। इस निर्णय को प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष आप.पुन.456/2015 में ***बबीता बिष्ट बनाम धर्मेंद्र सिंह बिष्ट*** शीर्षक से चुनौती दी थी, जिसमें इस न्यायालय ने 29 मई, 2019 के निर्णय के माध्यम से वैधानिक कटौती के बाद अपीलकर्ता के सकल वेतन के 30% के बराबर पोषणीयता राशि बहाल कर दी थी।

11. अपीलकर्ता ने वर्ष 2019 में सी.आई.एस.एफ. से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 नवंबर, 2020 को जारी एक विशेष मुद्रा प्राधिकार के माध्यम से और बाद में 3 फरवरी, 2021 को विशेष मुद्रा प्राधिकार द्वारा संशोधित, प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता की पेंशन राशि का 30 प्रतिशत उसके जीवनकाल के दौरान या जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती, जो भी पहले हो, प्रदान किया गया है।

12. यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी ने उसे दी गई पोषणीयता के संबंध में निष्पादन कार्यवाही दायर की है, जो अभी भी लंबित है।

13. वर्तमान अपील लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों को 13 फरवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, लेकिन वे विफल रहे।

14. 6 मार्च, 2023 के आदेश के माध्यम से, सुश्री श्रिया मैनी को अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय की सहायता के लिए न्यायालय मित्र रूप में नियुक्त किया गया था।

15. अपील में, अपीलकर्ता ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष की गई दलीलों को दोहराने के अलावा, निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

(i) अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को लगभग दो दशकों तक आपराधिक मुकदमे में घसीटे जाने के बाद महानगर मजिस्ट्रेट, महिला न्यायालय, द्वारका, दिल्ली द्वारा 18 जुलाई, 2022 के निर्णय के माध्यम से भा.दं.सं. की धारा 498क/406/34 के तहत प्राथमिकी सं. 162/2007 में आरोपों से बरी कर दिया गया है।

(ii) अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत के आधार पर डी.आई.जी., सी.आई.एस.एफ. द्वारा जाँच के अधीन किया गया था। अंततः उन्हें उसी मामले में दोषमुक्त कर दिया गया और जांच अधिकारी ने उनकी कोई गलती नहीं बताई।

(iii) बिना किसी ठोस साक्ष्य के झूठे और तुच्छ आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है। इस संबंध में ***मंगयाकारसी बनाम एम.एम. युवराज***, (2020) 3 एस.सी.सी. 786 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

(iv) यह विवाह किसी भी तरह से बचाए जाने की गुंजाइश से परे है और दोनों पक्षकार लगभग 17 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं।

(v) अपीलकर्ता पर पोषणीयता का कोई बकाया नहीं है। अपीलकर्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है और पोषणीयता राशि स्वचालित रूप से उसकी पेंशन से काट ली जाती है और नियोक्ता द्वारा सीधे प्रत्यर्थी के खाते में जमा कर दी जाती है।

16. प्रतिपक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थी ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष की गई दलीलों को दोहराया है और कुटुंब न्यायालय के निष्कर्षों पर भरोसा किया है। वह आगे बताती है कि पोषणीयता का अवशिष्ट 8,15,865/- रूपए का बकाया है।

17. हमने पक्षकारों को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

18. यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी का विवाह हिंदू अधिकारों और समारोहों के अनुसार 7 मई, 2006 को हुआ था। हालाँकि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवाह की शुरुआत के बाद से दोनों पक्षकारों में एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं था। विवाह के तुरंत बाद दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद पैदा हो गए। अलग होने से पहले दोनों पक्षकारों ने मुश्किल से, कुल मिलाकर, लगभग चार महीने एक साथ बिताए।

19. अभिलेख से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के खिलाफ सी.ए.डब्ल्यू. प्रकोष्ठ में शिकायत की थी, जिसके आधार पर अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498क/406/34 के तहत

प्राथमिकी सं. 162/2007 पुलिस स्टेशन जनकपुरी में दर्ज की गई थी। उपरोक्त प्राथमिकी में, प्रत्यर्थी ने न केवल अपीलकर्ता के खिलाफ, बल्कि उसकी माँ और नवविवाहित बहन सहित उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी दहेज की मांग करने और प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार करने का आरोप लगाया।

20. उपरोक्त प्राथमिकी के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसके बाद एक विचारण चलाया गया, जिसमें अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अंततः 18 जुलाई, 2022 के निर्णय से बरी कर दिया गया। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उक्त कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए उसे अपने आधिकारिक कर्तव्य से अवकाश लेना पड़ा, जिससे उसे पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को 15 वर्षों तक आपराधिक विचारण का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें बरी कर दिया गया। महत्त्वपूर्ण रूप से, बरी करने के निर्णय में कहा गया है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए दहेज की मांग और उत्पीड़न के आरोप अस्पष्ट और निराधार थे। बेशक, बरी करने के उपरोक्त निर्णय को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

21. उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(झ.क.) के उद्देश्यों के लिए 'मानसिक क्रूरता' के बराबर होगा।

इस संबंध में ***मंगयाकारसी*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार प्रस्तुत की गई हैं:-

> ***"14. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी उचित मामले में दहेज की मांग या ऐसे अन्य आरोप का निराधार आरोप लगाया गया है और पति तथा उसके परिवार के सदस्यों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और अंततः यदि यह पाया जाता है कि ऐसा आरोप अनुचित और निराधार है और यदि पत्नी का वह कृत्य ही पति के लिए यह आरोप लगाने का आधार बनता है कि उस पर मानसिक क्रूरता की गई है, तो निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थिति में, यदि उस आधार पर विवाह विघटन के लिए याचिका दायर की जाती है और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने के लिए मूल न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस आधार पर विवाह विघटन के उद्देश्य से इसकी सराहना की जा सकती है....."।***
>
> [महत्त्व दिया]

22. इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने 2 नवंबर, 2023 को तय वै.अ. (कु.न्या.) 2/2021 शीर्षक XXX. बनाम XXX. में भी अभिनिर्धारित किया है कि गंभीर और निराधार आरोप लगाना और पति और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे आपराधिक मामले में फंसाना पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।

23. हमारे सुविचारित विचार में, अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में प्रत्यर्थी का कार्य, जिसके कारण उन्हें 15 वर्षों तक परेशान किया गया और अंततः दोषमुक्त कर दिया गया, निस्संदेह मानसिक क्रूरता के कार्य के रूप में योग्य होगा जो अपीलकर्ता को

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (झक) के तहत तलाक की डिक्री का हकदार बनाएगा।

24. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के नियोक्ता के पास शिकायत दर्ज कराई जिसके अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता ने यह भी बयान दिया है कि उक्त शिकायत दर्ज करने से वह अपने कार्यस्थल पर बहुत अपमानित हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता को उक्त जाँच में दोषमुक्त कर दिया गया था।

25. कुटुंब न्यायालय ने जिन कारकों पर विचार किया उनमें से एक यह था कि अपीलकर्ता विवाह के तुरंत बाद प्रत्यर्थी को अपने साथ हैदराबाद नहीं ले गया था। हालाँकि, अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाह के समय, वह हैदराबाद में एक अविवाहित आवास में रह रहा था, और इसलिए, वह विवाह के तुरंत बाद प्रत्यर्थी को अपने साथ हैदराबाद ले जाने की स्थिति में नहीं था। वह कहता है कि उसने प्रत्यर्थी को आश्वासन दिया था कि जैसे ही वह प्रत्यर्थी के अपने साथ रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में समर्थ होगा, वह प्रत्यर्थी को हैदराबाद ले जाएगा। हमारे विचार में, यह अपीलकर्ता द्वारा दिया गया एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण था जिस पर कुटुंब न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

26. अपीलकर्ता ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि जब प्रत्यर्थी हैदराबाद में उसके साथ रहती थी, तो वह अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी, घरेलू

जिम्मेदारियों में योगदान नहीं देती थी और यहां तक कि एक गरमागरम बातचीत के दौरान उसे थप्पड़ भी मार देती थी। उन्होंने आगे बयान दिया है कि अक्टूबर, 2006 में दिवाली की छुट्टी के दौरान दिल्ली आने के बाद उन्होंने प्रत्यर्थी के साथ हैदराबाद वापस जाने के लिए रेलवे बुकिंग की थी और अपने साक्ष्य में रेलवे टिकट बुकिंग (अभि.सा.-1/2 को प्रदर्शित किया) को साबित किया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी रेलवे स्टेशन पर उसके साथ शामिल होने में विफल रही और अपीलकर्ता को अकेले यात्रा करनी पड़ी। अपीलकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में व्यक्त किए गए सभी उपरोक्त तथ्य अप्रमाणित हैं और अभी तक कुटुंब न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखे गए हैं।

27. जहां तक प्रत्यर्थी के इस कथन का संबंध है कि अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के पक्ष में दिए गए पोषणीयता के पूर्ण अवशिष्ट का भुगतान नहीं किया है, यह अभिलेख का विषय है कि प्रत्यर्थी ने उक्त अवशिष्ट की वसूली के लिए निष्पादन कार्यवाही शुरू की है। भले ही, अपीलकर्ता इस बात से इनकार करता है कि कोई अवशिष्ट है, हम इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। यदि पोषणीयता का कोई अवशिष्ट देय है, तो वह प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही के अधीन होगा।

28. निष्कर्ष निकालने से पहले, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षकारों ने 7 मई, 2006 को विवाह किया था और विवाह के कुछ ही महीनों बाद उनके बीच अलगाव हो गया था। तथ्य यह है कि दंपति की कोई संतान

नहीं है, और मध्यावधि में, अपीलकर्ता को विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही के अधीन किया गया है, पक्षकारों के एक साथ आने की बहुत कम गुंजाइश है। जैसा कि उपरोक्त देखा गया है, न केवल अपीलकर्ता बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी, जो सौभाग्य से उनके लिए दोषसिद्धि का कारण नहीं बनी। हमारी राय में, पक्षकारों के बीच पूर्ण विश्वास की कमी है। इसलिए, इस मामले में शायद अलग होना ही एकमात्र समझदारीपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

29. हमारे विचार में, उपरोक्त सभी कार्य संचयी रूप से मानसिक क्रूरता के कृत्यों के रूप में योग्य होंगे, जो अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री देने का हकदार बनाएगा। तदनुसार, हम 22 अगस्त, 2017 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और अधिनियम की धारा 13 (1) (झक) के तहत क्रूरता के आधार पर अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री देते हैं।

30. डिक्री शीट तैयार की जाए।

31. न्यायालय माननीय न्यायमित्र सुश्री श्रेया मैनी द्वारा प्रदान की गई सक्षम एवं त्वरित सहायता की सराहना करता है।

32. तदनुसार, सभी लंबित आवेदनों के साथ अपील का निपटान किया जाता है।

33. इस निर्णय की एक प्रति सचिव, दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को सूचनार्थ भेजी जाए।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

राजीव शकधर
(न्यायाधीश)

3 मई, 2024
आरटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में* निर्णय *का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*